

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर


आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 119 /2020

दिनांक 25.08.2020

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ./93/2020 दिनांक 22.07.2020 के द्वारा श्रीमती बबीता सैनी (RJ1052), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट, एन. आई. एक्ट प्रकरण, क्रम 02, जयपुर महानगर- प्रथम को दिनांक 20.07.2020 से 07.08.2020 तक 19 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 19.07.2020 एवं 08.08.2020 से 09.08.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया गया था, जिसमें से दिनांक 20.07.2020 से 22.07.2020 तक 03 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) निरस्त किया जाता है।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/40/2016/3567

दिनांक 25.08.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जयपुर महानगर-प्रथम को उनके पत्रांक 4837 दिनांक 13.08.2020 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती बबीता सैनी (RJ1052), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट, एन. आई. एक्ट प्रकरण, क्रम 02, जयपुर महानगर- प्रथम।
4. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट, एन. आई. एक्ट प्रकरण, क्रम 02, जयपुर महानगर- प्रथम
5. सुश्री रेणुका शर्मा (RJ1066), विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-03, जयपुर महानगर- प्रथम।
6. विशिष्ठ महानगर मजिस्ट्रेट (एन.आई.एक्ट प्रकरण) क्रम-03, जयपुर महानगर- प्रथम।
7. संबंधित कोषालय।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर।



सहायक रजिस्ट्रार